श्री आनंदपुर ट्रस्ट विरूद्ध म.प्र. शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

करण कमांक – निगरानी 2407–दो / 14 जिला – अशोकनगर

न तथा ांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
(–09–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण विनियम का है प्रकरण में कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–2–2000 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विनिमय का आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक के भूमिस्वामित्व की ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर तहसील ईसागढ़ स्थित भूमि सर्वे नं 175 से शासकीय भूमि के विनिमय का आदेश दिया गया । कलेक्टर के विनिमय आदेश के पश्चात आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं0 175 शासन के नाम अंकित की गई एवं शासन की भूमि आवेदक के नाम अंकित की गई । बाद में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदन दिया गया कि टंकण की त्रुटि से उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सर्वे नं. 174 के बजाय 175 अंकित हो जाने से गलती से अन्य समान भूमि का विनिमय हो गया इसलिए आदेश दिनांक 7–2–2000 में आंशिक संशोधन कर सर्वे कमांक 175 के स्थान पर 174 कर दिया जाये क्योंकि दोनों सर्वे नंबरों के रकबा एवं ग्राम में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही सर्वे नंबरों की भूमियां लगी हुई हैं । अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 19 / विविध / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 12–11–10 द्वारा आवेदक का संहिता की धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया गया एवं कलेक्टर, अशोकनगर को यह निर्देश दिए गए कि वे ट्रस्ट की ओर से आवेदन आने पर उक्तानुसार सर्वे नंबरान का संशोधन विचारित करें । इस पर से आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित किया है । कलेक्टर के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपर आयुक्त के उक्त आदेश को पूर्णतया अनदेखा करते हुए, इस आधार पर कि राज्य शासन के परिपत्र दिनांक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो अभिभाषक हस्ताक्षर
	15–10–2010 के द्वारा विनिमय के कलेक्टर को प्रदत्त अधिकार समाप्त हो गये हैं, आवेदक के आवेदन को क्षेत्राधिकार न होने से समाप्त किया गया है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष इस प्रकरण में विधिसम्मत नहीं है कि क्योंकि यह प्रकरण राज्य शासन के उक्त परिपत्र के पूर्व कलेक्टर के आदेश दिनांक 6.2.2000 में संशोधन का है । ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा जो आदेश दिया गया है वह प्रकरण के तथ्यों को न समझकर दिया हुआ प्रतीत होता है । अतः जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–14 इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 12–11–10 के परिप्रेक्ष्य में जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत संशोधन आवेदन जिसमें सर्वे नं. 175 के स्थान पर 174 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है, स्वीकार किया जाता है तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित करते हुए ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर तहसील ईसागढ़ स्थित भूमि सर्वे नं. 174 जो वर्तमान में आवेदक के नाम अंकित है उसे शासन के नाम अंकित किया जाये तथा सर्वे नं. 175 की भूमि जो शासन के नाम अंकित है उसे आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । (एम. के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

R2407- II 114

प्र0 क्र0 निगरानी /2013-14

श्री आनन्दपुर ट्रस्ट

तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर

द्वारा मुख्यारआम महात्मा श्री शब्दधर्मानंद

गुरू श्री 108 श्रीस्वामी दर्शन पूर्णानंद

महाराज श्री आनन्दपुर ट्रेस्ट तहसील

ईसागढ़ जिला अशोकनगर. म0प्र0

-निगरानीकर्ता

K. Shrivastava

...ज दि. 4-8-14 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-8-14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

मध्य प्रदेश शासन

निगरानी

विषय :- न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्र. 35/अ-19/2013-2014 के आदेश दिनांक 08/07/2014 के विरूद्ध। निगरानी धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत।

माननीय महोदय,

सेवा मे सविनय निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है-